भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3341
(21 मार्च, 2023 को उत्त1र दिए जाने के लिए)
मनरेगा निधि में गबन और भ्रष्टाचार

3341. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पंजाब सरकार के अधिकारियों द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) निधियों में कथित गबन और भ्रष्टाचार की कोई जांच कराई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जांच किए जाने के क्या कारण हैं,

(ग) क्या जांच रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है;

(घ) यदि हां, तो जांच रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राज्य सरकार ने इस संबंध में कोई कार्रवाई शुरू की है; और

(च) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार को इस संबंध में सूचित कर दिया गया है और यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) से (च): मंत्रालय को पंजाब राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के कार्यान्वयन में अनियमितताओं की शिकायतें मिली थीं। इस संबंध में की गई कार्रवाई का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

लोकसभा में दिनांक 21.03.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 3341 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्रम संख्या	शिकायत संबंधी विवरण	की गई कार्रवाई और वसूली का विवरण
1.	फरीदकोट और श्री मुक्तसर साहिब जिलों में महात्मा गांधी नरेगा के तहत अनियमितता संबंधी शिकायतें।	राज्य द्वारा प्रस्तुत की गई कार्रवाई रिपोर्ट के अनुसार, फरीदकोट और श्री मुक्तसर साहिब जिलों में 42.31 लाख रुपये की वसूली की गई। साथ ही संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है।
2.	श्री मुख्तसर साहिब जिले में मनरेगा योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता संबंधी शिकायतें।	राज्य द्वारा प्रस्तुत की गई कार्रवाई रिपोर्ट के अनुसार, 1,74,147/- रुपये की राशि वसूल की गई।
3.	तरन तारन जिले में मनरेगा के कार्यान्वयन में अनियमितता संबंधी शिकायतें।	राज्य द्वारा प्रस्तुत की गई कार्रवाई रिपोर्ट के अनुसार, 42,332/- रुपये की राशि वसूल की गई।